Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अशफाक अहमद बनाम भौमू उर्फ बशीरूद्दीन वगै0

अपील संख्या 176/2025 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO 2025/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.12.25	अपील श्री विष्णु चंद बंसल अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर सुना गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट अधिवक्ता एवं अपीलाट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट/प्रार्थी के अधिवक्ता अन्य प्रकरण मे सिविल न्यायालय मे व्यस्त थे, वक्त आवाज अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हो सके। किसी अधिवक्ता के न्यायालय मे हाजिर नही होने के कारण पक्षकार को अधिकारो से वंचित करना विधि विरूद्व है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चल अचल सम्पति से संबंधित है। जिसमे हक हकूको का निर्धारण अंतिम निर्णय पर ही हो सकेगा। अतःअ अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 18/09 पारित आदेश दिनांक 21.6.19 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनःसुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी के न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी की चल अचल सम्पति से सबंधित है। जिसका निर्धारिण अंतिम निर्णय होने पर ही हो सकता है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपीलांट की और से ही प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का न्यायालय मे उपस्थित नही होने से ही प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। किसी अधिवक्ता की अनुपस्थिति या अन्य न्यायालय मे व्यस्त होने का खामियाजा पक्षकार पर नही डाला जा सकता है। न्यायिक दृष्टिकोण से भी पक्षकारो को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपील एडमिशन स्तर पर ग्रहण योग्य होने से ग्रहण की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 18/09 मे पारित निर्णय दिनांक 21.6.19 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 18/09 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर विधिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण का विधि अनुसार अनुसार अंतिम निर्णय पारित करे। पत्रावली मे आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	